भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3862 का उत्तर

उत्तर प्रदेश में जोन-वार नई इंटरसिटी सेवाएं

3862. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में जोन-वार कितनी नई इंटरसिटी सेवाएं शुरू की जाने वाली हैं;

(ख) क्या सरकार सहारनपुर-शामली-दिल्ली के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली-शामली-सहारनपुर और दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर रेल मार्गों पर अंडरपासों में जल-भराव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सफाई में सुधार करने और रेलवे स्टेशनों पर और अधिक शौचालय तथा प्रतीक्षालय बनाने के लिए योजना शुरू की है और यदि हां, तो उक्त रेल मार्गों पर इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): चूंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला होता है, इसलिए नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार ऐसी सीमाओं के आर-पार गाड़ियां चलाई जाती हैं। इस समय, सहारनपुर-दिल्ली खंड को 21 जोड़ी गाड़ी सेवाओं से सेवित किया जा रहा है, जिनमें से शामली के रास्ते 05 जोड़ी गाड़ी सेवाओं को परिचालित किया जा रहा है। इसके अलावा, यातायात के

औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर भारतीय रेल पर नई गाड़ी सेवाएं शुरू करना सतत् प्रक्रिया है।

(ग): दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्गों पर 93 सबवे और दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर रेल मार्गों पर 27 सबवे हैं। भारी वर्षा के दौरान, दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर 04 अंडरपास और दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर मार्ग पर 01 अंडरपास में अल्पावधि के लिए जल भराव की समस्या की सूचना प्राप्त हुई जिसका पम्पिंग व्यवस्था के प्रावधान से समाधान किया गया।

इसके अलावा, रेलवे द्वारा सबवे में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए कई निवारक उपाय किए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. नए निचले सड़क पुल/सबवे की योजना के अभिन्न भाग के रूप में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है।
ii. मौजूदा निचले सड़क पुल/सबवे में व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार निकटवर्ती पुल और नालों/ड्रेन में जल प्रवाह डायवर्ज़न, पहुंच मार्गों पर कवर शेड का प्रावधान, निचले सड़क पुल (आरयूबी) के प्रवेश स्थान पर हम्प का प्रावधान, क्रॉस ड्रेन का प्रावधान, ज्वॉइंटों की सीलिंग आदि जैसे निवारक उपाय किए जाते हैं।
iii. आपातकालीन स्थिति में जल की शीघ्र निकासी के लिए चिह्नित निचले सड़क पुलों के लिए पंपिंग व्यवस्था भी की गई है और सड़क प्रयोक्ताओं की संरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान किया जाता है।

(घ): सफाई एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय रेल द्वारा सभी गाड़ियों और स्टेशनों को स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:

- सभी यात्री डिब्बों में बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं ताकि पटरियों पर सवारी डिब्बों से मानव अपशिष्ट का प्रवाह न हो और इसके परिणामस्वरूप प्लेटफार्म और स्टेशन के स्वच्छता स्तर में पहले से अधिक सुधार हुआ है।
- स्टेशनों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान लगाए जाते हैं।
- बडे स्टेशनों पर मशीनीकृत सफाई सेवाओं को अपनाया गया है।
- गाड़ियों के शौचालयों सहित सवारी डिब्बों की सफाई गाड़ी के दोनों छोर पर मशीनीकृत सफाई के साथ की जाती है।
- गाड़ियों के चलाने के दौरान सवारी डिब्बों के शौचालयों, दरवाजों, गलियारों और यात्री कंपार्टमेंटों की सफाई के लिए महत्वपूर्ण लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं (ओबीएचएस) मुहैया कराई गई हैं।
- चिह्नित गाड़ियों पर सीमित मशीनीकृत सफाई समाधान के लिए क्लीन ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) योजना नियत की गई है जिसमें नामित स्टेशनों पर उनके निर्धारित ठहरावों के दौरान शौचालयों की सफाई भी शामिल है।
- सवारी डिब्बों के बहिर्भाग की अधिक प्रभावी और कुशल सफाई के लिए प्रमुख डिपुओं में स्वचालित सवारी डिब्बा धुलाई संयंत्र (एसीडब्ल्यूपी) संस्थापित किए गए हैं।
- स्टेशनों और गाड़ियों के स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान और स्वच्छता मुहिम नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
- सवारी डिब्बों की समग्र सफाई के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारंबार औचक निरीक्षण किया जाता है/जांच की जाती है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' भी शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है जैसे स्टेशन पहुंच मार्ग में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह और प्लेटफार्म पर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूदृश्यन आदि।

इस योजना के अंतर्गत भवन में सुधार, शहर के दोनों भागों से स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, वहनीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकता के अनुसार गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, चरणबद्ध रूप से और यथा व्यवहार्य तथा लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण शामिल है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास/उन्नयन के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग, अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या धाम, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदायूँ, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जंक्शन, बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बुलन्दशहर, चंदौलीमझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकुट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फ़तेहपुर, फ़तेहपुर

		सीकरी, फ़िरोज़ाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, गौरीगंज, घाटमपुर, ग़ाज़ियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोलागोकरननाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज, कासगंज, काशी, खलीलाबाद, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग एवं जंक्शन), लखनऊ सिटी, मगहर, महोबा, मैलानी, मैनपुरी जं., मल्हौर जं., मानकनगर जं., मानिकपुर जं., मरियाहू, मथुरा, मऊ, मेरठ सिटी, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद, नगीना, नजीबाबाद जं., निहालगढ़, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जं., फूलपुर, पीलीभीत, पोखरायां, प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय, रायबरेली जं., राजा की मंडी, रामघाट हॉल्ट, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर जं., सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जं., शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जं., शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जं., सोनभद्र, श्री कृष्णा नगर, सुल्तानपुर जं., सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जं., उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जं., उतरेटिया जं., वाराणसी कैंट. वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जाफराबाद, खोरसनरोड, आनंद नगर, बिजनौर, धामपुर, बालामऊ, आंवला, मुजफ्फरनगर

इसके अलावा, प्रतीक्षालयों और शौचालयों सहित रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था/सुधार करना सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किया जाता हैं। कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने और निष्पादित करते समय स्टेशनों की निम्न कोटि की तुलना में स्टेशनों की उच्चतर कोटि को स्टेशनों के अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि के आबंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य पांच जोनों अर्थात उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 5930 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

*****